1 अध्याय

# प्रस्तावना

## 1.1 पृष्ठभूमि

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमएसटी) के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.) की स्थापना मई 1971 में विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी (एस. एंड टी.) के नए क्षेत्रों को बढ़ावा देने तथा देश में एस. एंड टी. गतिविधियों के आयोजन, समन्वय और बढ़ावा देने हेतु एक नोडल विभाग की भूमिका निभाने के उद्देश्य के साथ की गई थी। डी.एस.टी. वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों, वैज्ञानिक संघों व निकायों के साथ-साथ डी.एस.टी. द्वारा बढ़ावा दिये गए तथा वित्त पोषित स्वायत्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों एवं पेशेवर विज्ञान अकादमियों के माध्यम से अनुसंधान व विकास का समर्थन करता है।

स्वायत्त निकाय (ए.बी.) या तो संसद के अधिनियम द्वारा गठित या सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अंतर्गत या सम्बन्धित राज्य सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, जैसा लागू हों और अनुवर्ती संशोधन के अंतर्गत पंजीकृत विधिक इकाई हैं। फरवरी 2016 तक डी.एस.टी. के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत 28 स्वायत्त निकाय ***(परिशिष्ट।)*** थे।

स्वायत्त निकायों के निदेशक संबंधित स्वायत्त निकायों जिसमें ए.बी और डी.एस.टी.के प्रतिनिधियों के साथ-साथ बाहरी एजेन्सियों के विशेषज्ञ होते हैं। स्वायत्त निकायों का प्रबंधन शासी निकाय (जी.बी.)/ शासी परिषद (जी.सी.) के द्वारा किया जाता हैं। स्वायत्त निकायों के निदेशक संबंधित स्वायत्त निकायों के मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्य करते हैं।.

स्वायत्त निकाय पर्याप्त रूप से डी.एस.टी. द्वारा सरकारी अनुदान से वित्त पोषित किए जाते हैं। 2009-10 से 2014-15 में डी.एस.टी. द्वारा स्वायत्त निकायों को जारी किए गए अनुदान की राशि चार्ट 1 में दी गई है।

*चार्ट 1: डीएसटी द्वारा स्वायत्त निकायों को जारी किया गया अनुदान*

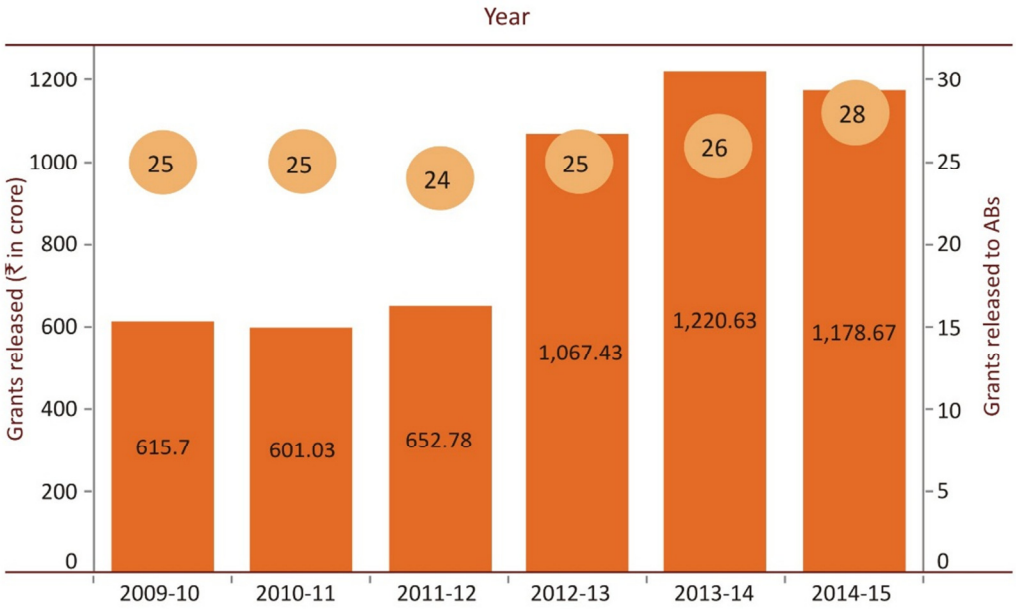


सरकारी अनुदान से इन स्वायत्त निकायों को मुहैया कराए गए पर्याप्त सहायता उनके कार्यों को करने में सरकारी नियमों व निर्देशों के अनुपालन को अनिवार्य बनाता है।

## 1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा यह मूल्यांकन करने के लिए किया गया कि-

i. स्वायत्त निकायों ने उनके लिए लागू विधिक व विनियामक रूपरेखा का अनुपालन किया अथवा नहीं;

ii. स्वायत्त निकायों के प्रशासनिक व हक़दारी कार्य नियमों और विनियमों के अनुरूप थें अथवा नहीं; और

iii. डी.एस.टी. ने स्वायत्त निकायों के कार्यों का समुचित पर्यवेक्षण किया अथवा नहीं।

## 1.3 लेखापरीक्षा मानदंड

इस लेखापरीक्षा हेतु मानदंड निम्नलिखित में से प्राप्त की गई है:

1. सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860, राज्य सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट एवं अनुवर्ती संशोधन;

2. स्वायत्त निकायों के बाई-लॉज; मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, विनियम,

3. स्वायत्त निकायों के लिए लागू वित्त मंत्रालय (एम.ओ.एफ.) द्वारा जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन
4. स्वायत्त निकायों के लिए लागू कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डी.ओ.पी.टी.) द्वारा जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन
5. सामान्य वित्त नियमावली एवं अन्य सरकारी नियम जो स्वायत्त निकायों पर लागू है तथा
6. संसद अधिनियम जिसके अंतर्गत स्वायत्त निकाय स्थापित किए गए हैं एवं अधिनियम के प्रावधानों से लिए गए अनुवर्ती नियम तथा विनियम।

## 1.4 लेखापरीक्षा नमूना, क्षेत्र एवं क्रियाविधि

डी.एस.टी. के 28 स्वायत्त निकायों में से 19 स्वायत्त निकायों का चयन विभिन्न कारकों जैसे कि स्वायत्त निकायों की स्थापना से लेकर अब तक की अवधि, भौगोलिक विस्तार, डीएसटी से प्राप्त अनुदान, तथा डी.एस.टी. के सुझावों के आधार पर किया गया था। 2009-14 की अवधि के दौरान, 19 चयनित स्वायत्त निकायों ने डी.एस.टी. से ₹ 2,962.94 करोड़ का अनुदान प्राप्त किया तथा ₹ 3,795.46 करोड़ का व्यय किया। अनुदान एवं व्यय का विवरण ***परिशिष्ट II*** में दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक की अवधि को कवर करते हुए लेखापरीक्षा सितंबर 2014 से सितंबर 2015 के दौरान किया गया। हालांकि, जहां कहीं भी आवश्यकता पड़ी, वर्ष 2009 से पहले के अभिलेखों की भी जांच की गई। कुछ मामलों में, जहां, प्रासंगिक था, स्वायत्त निकाय के निर्माण से संबंधित अभिलेखों की जाँच की गई।

लेखापरीक्षा के क्षेत्र में चयनित स्वायत्त निकायों एवं डीएसटी में अभिलेखों की जांच-पड़ताल शामिल थें। डीएसटी, नई दिल्ली में एंट्री मीटिंग 21 नवंबर 2014 को आयोजित की गई जिसमें लेखापरीक्षा के लिए नमूना, क्षेत्र, उद्देश्य पर चर्चा की गई। एग्जिट मीटिंग 13 मई 2016 को आयोजित की गई जिसमें डी.एस.टी. के सचिव तथा विभागीय प्रमुखों के साथ लेखापरीक्षा के निष्कर्षों की चर्चा की गई। लेखापरीक्षा निष्कर्षों का प्रत्युत्तर कार्यवृत्त में दर्ज किये गये अनुसार प्रासंगिक पैरा के अंतर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा की सिफ़ारिशें भी एग्जिट मीटिंग की कार्यवृत्त के साथ सचिव को जारी की गईं जिसे डीएसटी द्वारा स्वीकार कर लिया गया। डी.एस.टी. ने आगे बताया (जून 2016) कि ड्राफ्ट के उत्तर

या तो संबंधित ए.बी. से प्राप्त नहीं हुए थे या हमें प्रदान करने के लिए ना काफी थे ओर पुष्टि की कि इन्हें ए.टी.एन.स्टेज पर संप्रेषित किया जाएगा।

## 1.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की संरचना

प्रतिवेदन का अभिन्यास निम्न प्रकार हैः-

अध्याय 2 - स्वायत्त निकायों का विनियामक ढाँचा,

अध्याय 3 - स्वायत्त निकायों की प्रशासकीय कार्य प्रणाली

अध्याय 4 - डी.एस.टी. के पर्यवेक्षण कार्य

## 1.6 अभिस्वीकृति

हमारे लेखापरीक्षा संचालन के दौरान डी.एस.टी. एवं 19 चयनित स्वायत्त निकायों द्वारा दिये गए सहयोग को हम स्वीकार करते हैं।